राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांकः एफ 15(7)(6)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/2018 जयपुर, दिनांकः 18635-702 22-10-18

1. **समस्त उप निदेशक, मबावि।**
2. **समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।**
3. **समस्त प्रभारी अधिकारी वाद,.....मुख्यालय।**

विषयः— लाईटस वेबसाईट पर दर्ज न्यायिक प्रकरणों के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लाईट्स सॉफ्टवेयर में पेन्डिंग समस्त न्यायिक प्रकरणों को समय–समय पर संबंधित प्रभारी अधिकारियों द्वारा अपडेशन/मासिक सूचना का इन्द्राज एवं दस्तावेजात अपलोड आदि करना चाहिए, परन्तु अधिकतर प्रभारी अधिकारी लाईट्स में केस दर्ज होने के उपरान्त उस केस से संबंधित अपडेशन/मासिक सूचना का इन्द्राज एवं दस्तावेज अपलोड आदि नहीं करते हैं। अपडेशन/मासिक सूचना का इन्द्राज एवं दस्तावेज अपलोड आदि नहीं करने के संबंध में न्याय विभाग एवं राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (लाईट्स) एवं वरिष्ठ शासन उप सचिव द्वारा बार–बार पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

अतः इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि निम्न बिन्दुओं के संबंध में आप द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना अविलम्ब इस विभाग को डाक/ई–मेल के जरिये भिजवाना सुनिश्चित करावें–

1. 10 वर्ष से 20 वर्ष व 20 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित जो प्रकरण वेबसाईटस पर दर्शित हो रहे हैं उन्हें अपडेट करने की कार्यवाही करवाई जावे व उनकी नवीनतम तथ्यात्मक स्थिति सहित संबंधित अधिवक्तागण को उपलब्ध करवाई जावे।
2. अवमानना प्रकरणों के सबंध में निर्देशित किया जाता है कि विभाग में लम्बित सभी अवमानना प्रकरणों में संबंधित अति. महाधिवक्ता/अति. राजकीय अधिवक्ता से लगातार सम्पर्क रखते हुए जवाबदावा प्रस्तुत कराने की कार्यवाही करावें। साथ ही यह निर्देश दिये जाते हैं कि जिन प्रकरणो में विभाग द्वारा अपील पेश करने का निर्णय लिया हुआ है उनमें संबधित अधिवक्ता से सम्पर्क कर स्थगन प्राप्त करने की कार्यवाही करावें। नियमित रूप से अवमानना प्रकरणों की तारीख पेशीयां लाईटस वेबसाईट पर अपडेट करें तथा जिन अवमानना प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है उनके निस्तारण का इन्द्राज लाईटस वेबसाईटस पर करावें।
3. लाईट्स वेबसाईट पर आईसीडीएस से संबंधित पालना से शेष प्रकरणों में पालना नहीं करवाने/वेबसाईटस पर अपडेट नहीं करने को प्रमुख शासन सचिव, मबावि ने अत्यन्त गंभीरता से लिया हैं, इसलिए निर्देशित किया जाता है कि 7 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से पालना से शेष प्रकरणों की स्थिति को लाईट्स वेबसाईटस पर अपडेट की जावे।
4. विभागीय न्यायिक प्रकरणों में जवाबदावे के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि जिन प्रकरणों में जवाब पेश करवाया जा चुका है उसका इन्द्राज लाईट्स सॉफ्टवेयर पर करावे तथा जिन प्रकरणों में अभी तक जवाब पेश नहीं कराया है उनमें संबंधित प्रभारी अधिकारी 3 दिवस में संबंधित अधिवक्ता से सम्पर्क कर नियमानुसार जवाबदावा प्रस्तुत कराने की कार्यवाही करावें तथा न्याय विभाग की वेबसाईटस पर जवाब पेश करने का इन्द्राज करावें।

Legal Cell E-Mail:- legalicds@gmail.com

5. अपील करने से शेष प्रकरणों को लाईट्स वेबसाईटस पर अपडेट नहीं करने को प्रमुख शासन सचिव, मबावि ने अत्यन्त गंभीरता से लिया हैं, इसलिए निर्देशित किया जाता है कि 7 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से पालना से शेष प्रकरणों की स्थिति को लाईट्स वेबसाईटस पर अपडेट की जावे।
6. रिट/वाद/अपील के अलावा प्रकरणों की आगामी प्रगति यथा तथ्यात्मक रिपोर्ट, जवाबदावा, अन्य दस्तावेजात व निर्णय की प्रतियां न्याय विभाग की वेबसाईटस पर अपलोड करावें।
7. ड्यू कोर्स में लम्बित न्यायिक प्रकरणों का संबंधित न्यायालय में ही इन्द्राज कराने के संबंध में संबंधित प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे ड्यू कोर्स में लम्बित प्रकरणों में वांछित कार्यवाही करावें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 15(7)(6)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/2018/15703-706

जयपुर, दिनांकः 22-10-18

प्रतिलिपि

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मबावि, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस, राज. जयपुर।
3. राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (लाईटस) एवं वरिष्ठ शासन उप सचिव, मबावि विभाग, राज. जयपुर।
4. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (कम्प्यूटर) मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

अति. निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर